जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

डिस्कॉम ने की आमजन से अपील
विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव हेतु रखें कुछ प्रमुख बातों का ध्यान

जयपुर, 31 जुलाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिनो में प्रदेशभर में घटित हुई विद्युत दुर्घटनाओं की जांच एवं विश्लेषण में प्रमुख रूप से कुछ तथ्य एवं कारण सामने आये है। इन कारणों को देखते हुए विद्युत जनित दुर्घटनाओं से बचाव हेतु आमजन से अपील की जाती है कि कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखें तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता है।

- यदि बिजली बंद हो तो बिजली को बंद मानते हुए विद्युत लाईनों के आसपास स्वयं कोई कार्य नही करें। बिजली के खम्बे, ट्रांसफॉर्मर, अर्थिंग वायर आदि से छेडछाड का प्रयास नही करना चाहिए। यदि कही कोई तार टूट जाये, किसी खम्बे या अर्थिंग सेट में करंट आ रहा हो तो उसकी सूचना संबंधित अभियन्ता, जीएसएस को दें।
- विद्युत लाईन के आसपास शामियाना लगा के, बोरिंग का पाईप निकालते हुए ऊपर से गुजर रही विद्युत लाईन से सुरक्षित दूरी का ध्यान रखें।
- भवन निर्माण के दौरान या प्लास्टर/तराई करते समय आस–पास की विद्युत लाईन से बचाव का विशेष ध्यान रखें।
- विद्युत लाईन के नीचे अनाधिकृत रूप से यदि किसी ने मकान बना लिए है तो वो अपने क्षेत्र के सहायक अभियन्ता कार्यालय में इन लाईनों को स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन करें और जब तक ये लाईने स्थानान्तरित नही हो जाती है तब तक इनसे सुरक्षित दूरी बनाये रखें।
- बरसात के कारण विद्युत ट्रांसफॉर्मर या पिलर बॉक्स के आस–पास पानी भरा हो तो उस पानी में ना जाये एवं निगम के कर्मचारियों को सूचित करें।
- यदि विद्युत तंत्र में कही भी कोई तार टूटकर नीचे गिर गया हो, या खम्बे के टेढा होने या टूट जाने से लटक गया हो, विद्युत तंत्र में चिंगारी उठ रही हो व केबल जल गई हो तो इसकी सूचना व शिकायत कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 18001806507, टेलीफोन न. 0141–2203000, मोबाईल नम्बर 9414037085 एसएमएस/व्हाट्स–एप से फोटो व लोकशन भेजकर तथा डिवीजन स्तर पर स्थापित उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर सूचना व षिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के उपभोक्ता अपनी शिकायतें बिजली मित्र एप के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं।
- जयपुर डिस्कॉम ने निगम के सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि निगम द्वारा उचित व अधिकृत शटडाउन के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशो का पालन करें एवं सही तरीके से शटडाउन लेने के उपरान्त अर्थिंग व सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए ही विद्युत सम्बंधित सुधार कार्य करें।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 896/2019